न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 39 / 2021
जीसीएमएस : 2021 / 98

1. अमित कुमार पुत्र मांगीलाल जाति बिश्नोई निवासी डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता ममता पत्नी मांगीलाल जाति बिश्नोई निवासी डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. प्रतिज्ञा पुत्री मांगीलाल जाति बिश्नोई निवासी डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता ममता पत्नी मांगीलाल जाति बिश्नोई निवासी डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–: प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. शिवप्रकाश पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. पृथ्वीराज पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–: अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री रणवीर सिंह बिश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री रविन्द्र बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2–3

–: निर्णय :–

दिनांक : 12.04.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी सं. 1 मांगीलाल पुत्र ओमप्रकाश के नाम से चक 4 बीपीएम तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 77 मु.नं. 28 प.नं. 114 / 324 में 3.566है. नहरी व 0.076है. खाला, इसी खाता में मु.नं. 27 प.नं. 115 / 324 में 2.379है. कमाण्ड व 0.051है. खाला कुल संयुक्त खाता की 6.072 कमाण्ड मय खाला भूमि में से 607 / 6072 हिस्सा धारण करते थे। उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 मांगीलाल को जरिये वसीयत अपने नाना हनुमान से प्राप्त हुई थी। उक्त वसीयत उपपंजीयक मुकलावा से दिनंक 26.04.2003 को पंजीबद्ध की गई थी, परन्तु इस वसीयत के मुताबिक समस्त पक्षकारान ने नामान्तरण नहीं करवाकर हनुमान पुत्र मोखराम की उक्त भूमि का आपसी सहमति से विरास्तन नामान्तरण दर्ज करवाया जो चक 4 बीपीएम के नामान्तरण सं. 265 के जरिये तस्दीक एवं स्वीकृत किया। उक्त भूमि में स्पष्टतः विरास्तन अप्रार्थी सं. 1 मांगीलाल को 0.607है. भूमि प्राप्त हुई।

उक्त भूमि ही हमारे परिवार का जीवन यापन का स्त्रोत हैं। उ[illegible]मि प्रार्थीगण का जन्म से ही 1 / 3 हिस्सा प्रत्येक का बनता हैं, [illegible] प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हैं, उक्त भूमि पर काबिज हो[illegible] हैं। इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। अप्रार्थी सं. 1 शराबी एवं [illegible]बी प्रकृति के व्यक्ति हैं कोई काम धंधा नहीं करते है तथा निरन्तर रूपयों पैसों की मां[illegible]ता से करते हुए उन्हे तंग परेशान करते है, हमारी माता द्वारा उनकी अवैधानिक मांग पूरी नहीं करने पर पिता अपने नाम की उक्त भूमि में से 0.354है. कमाण्ड मय खाला अप्रार्थी सं. 3 पृथ्वीराज को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा जो दिनांक 12.06.2020 को उपपंजीयक मुकलावा से तस्दीक किया एवं इसी खाता की 0.253है. भूमि दिनांक 22.07.2020 को शिवप्रकाश को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा जो उपपंजीयक मुकलावा द्वारा पंजीबद्ध किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.05.12 11:56:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

गया, विक्रय कर दी। दिनांक 08.02.2021 को प्रार्थीगण की माता उक्त भूमि की जमाबंदी प्राप्त करने कचहरी परिसर रायसिंहनगर आई तो जमाबंदी में नामान्तरण प्रक्रियाधीन होने का नोट लगा होन पर पटवारी से मिली तो पटवारी ने बताया कि अप्रार्थी सं. 1 ने भूमि अप्रार्थी सं. 2, 3 को विक्रय कर दी। उपपंजीयक कार्यालय मुकलावा से जानकारी प्राप्त कर बैयनामाजात की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर दिनांक 24.02.2021 को माता ने हमारे मामा व नाना व गांव के मौतबिरान को बुलाकर हमारे पिता तथा अप्रार्थी सं. 2, 3 से पंचायत की, तथा उन्हें बताया कि उक्त भूमि में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/3 हिस्सा था, जो आपने जरिये रजि. बैयनामा अपने नाम से करवा लिया। उक्त बैयनामा से प्रार्थीगण को नुकसान पंहुचने की गर्ज से करवाया हैं, जो शुरू से ही प्रार्थीगण के हितों के विपरित शून्य, अवैध एवं निष्प्रभावी हैं। अप्रार्थीगण तेष में आ गये तथा हमें हमारे हिस्से की भूमि देने से स्पष्ट इंकार हो गये व धमकी दी कि वह शीघ्र ही रकबा किसी अन्य को हस्तांतरण रहन बैय कर उपरोक्त रकबा से प्रार्थीगण को बेदखल व वंचित करेंगे। यदि इस नापाक कृत्य में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन मुद्राओं में किया जाना संभव नहीं होगा।

तार्फैसला वाद प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की चक 4 बीपीएम तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 77 मु.नं. 28 प.नं. 114/324 में 3.566है. नहरी व 0.076है. खाला, इसी खाता में मु.नं. 27 प.नं. 115/324 में 2.379है. कमाण्ड व 0.051है. खाला कुल संयुक्त खाता की 6.072 कमाण्ड मय खाला भूमि में से 607/6072 हिस्सा में अप्रार्थीगण स्वयं या उनका कोई हितबद्ध व्यक्ति या पश्चातवर्ती व्यक्ति किसी प्रकार की मदाखलत बेजा करने एवं रकबा को किसी भी प्रकार से अन्य को हस्तांतरण रहन बैय आदि करने से बाज व ममनू रहे व ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे प्रार्थीगण उपरोक्त रकबा से बेदखल व वंचित होते हो की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं वकील प्रार्थी के निवेदन करने पर एकपक्षीय बहस सुनकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण दिनांक 02.03.2021 को पारित की गयी। अप्रार्थीगण सं. 2–3 जरिए अधिवक्ता श्री रविन्द्र बिश्नोई एवं अप्रार्थी सं. 1 जरिए अधिवक्ता श्री अनुभव बिश्नाई उपस्थित आए। जवाब अप्रार्थी सं. 1 दिनांक 05.04.2022 को बंद किया गया। अप्रार्थी सं. 2–3 ने जवाब प्रा. पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित रकबा पैतृक सम्पति की परिभाषा में नहीं आने से प्रार्थीगण का कोई हिस्सा नहीं बनता, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में कतई साबित नहीं होता। ना ही प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त था ना ही वर्तमान में हैं, इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हैं। सद्भावी क्रेता की हैसियत से अप्रार्थीगण का कब्जा विवादित रकबा पर साधिकार होने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं। प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। अप्रार्थी मांगीलाल मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ व्यक्ति हैं। अप्रार्थी मांगीलाल व प्रार्थीगण एक साथ निवास करते हैं और मांगीलाल ने रकबा बैंक के अधीन बंधक रखते हुए ऋण प्राप्त कर रखा था। ऋण की अदायगी के लिए विवादित रकबा विक्रय करने का मानस बनाते हु बिकवाली निकाली उस दौरान प्रार्थीगण ने कोई आपति व एतराज नहीं किया। समूचित प्रतिफल अदा करने पर भूमि को रहनमुक्त करवाते हुए बैयनामा जात मिन अप्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित व पंजीकृत कर भूमि का कब्जा मिन अप्रार्थीगण [illegible] जिस पर खरीद के रोज से सदभावी क्रेता की हैसियत से साधिकार निरन्तर [illegible] का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। क्रयशुदा रकबा पर खरीद [illegible] हक हकूक व अधिकार अप्रार्थीगण में निहित होने से प्रार्थी के उक्त रकबा पर [illegible] हित शेष न रहने से प्रार्थीगण न्यायालय से कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं हैं। अब मांगीलाल अप्रार्थी व प्रार्थीगण ने आपसी दुरभिसंधि, साजिश व मिलीभगत [illegible] हुये अप्रार्थीगण को नाहक हैरान, परेशान कर बेजा नुकसान पंहुचाने के आशय से समस्त कार्यवाही झूठे तथ्यों पर की जा रही हैं। प्रार्थीगण न तो सदभावी हैं न ही क्लीनहैण्ड से न्यायालय में आए हैं। पंजीकृत दस्तावेज बैयनामाजात को शून्य व निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को होने से प्रकरण चलने योग्य नहीं हैं। अप्रार्थी मांगीलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.05.12 11:56:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

अप्रार्थीगण को विवादत रकबा से जबरदस्ती बेदखल करने की धमकियां दे रहा हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि विवादित रकबा अप्रार्थी सं. 1 जो कि प्रार्थीगण के पिता हैं को विरास्तन प्राप्त हुई हैं, जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हक एवं हिस्सा निहित हैं, अप्रार्थी सं. 1 द्वारा विवादित भूमि से संबंध में अप्रार्थीगण सं. 2–3 के पक्ष में करवाये गये पंजीबद्ध बैयनामाजात प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी हैं। विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 को विरास्तन प्राप्त होने तथा भूमि में प्रार्थीगण का हिस्सा निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। अप्रार्थीगण अगर भूमि को किसी अन्य को अन्तरण कर देते हैं तो प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन होता तथा अपूर्णीय क्षति होगी। मूल वाद निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी सं. 2–3 अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण सद्भावी क्रेता हैं जिन्होंने अप्रार्थी सं. 1 से पूर्ण प्रतिफल अदा करते हुए भूमि क्रय की हैं। विवादित भूमि के खरीद के रोज से समस्त खातेदारी हक हकूक व अधिकार अप्रार्थीगण में निहित हैं, तथा अप्रार्थीगण क्रयशुदा रकबा पर खरीद के रोज से साधिकार निरन्तर काबिज काश्त हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं। मांगीलाल अप्रार्थी व प्रार्थीगण ने आपसी दुरभिसंधि कर अप्रार्थीगण को अप्रार्थीगण को नाहक हैरान, परेशान कर बेजा नुकसान पंहुचाने के लिए वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। पंजीकृत दस्तावेज बैयनामाजात को शून्य व निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को हैं। प्रकरण इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज राजस्व रिकार्ड जमांबदी चक 4 बीपीएम खाता सं. 77 एवं उपपंजीयक मुकलावा पंजीकृत बैयनामा मांगीलाल बहक शिवप्रकाश दिनांक 22.07.2020 एवं बैयनामा मांगीलाल बहक पृथ्वीराज दिनांक 12.06.2020 को अवलोकन किया। उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उनके नाम से दर्ज चक 4 बीपीएम की खातेदारी भूमि जरिए पंजीकृत बैयनामा अप्रार्थी सं. 2–3 को हस्तांतरित की जा चुकी हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी सं. 2–3 के पक्ष में हैं। विवादित भूमि पैतृक हैं अथवा नहीं एवं विवादित भूमि में प्रार्थीगण का हिस्सा हैं या नहीं इसका निर्णय मूल वाद में वाद बिन्दू कायम कर गुण व अवगुण के आधार पर तनकीवार साक्ष्यों के आधार पर निर्णय किया जाना हैं। एवं जरिए बैयनामा अब विवादित भूमि के समस्त हक हकूक एवं अधिकारी बैयनामा की रोज से अप्रार्थी सं. 2–3 को प्राप्त हो गये हैं। चूंकि अप्रार्थीगण सदभावी क्रेता हैं, ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं। यदि अप्रार्थीगण सदभावी क्रेता के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं तो प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थीगण को नुकसान होने की संभावना हैं। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं, अतः न्यायालय की मत में प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 212 राज.काश्त.अधि. खारिज किया जाता हैं तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2021 को पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को भी निरस्त किया जाता हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 12.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.05.12 11:56:41 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर